रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072025-264981
CG-DL-E-26072025-264981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3371] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
No. 3371] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2025

का.आ. 3448(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3032 (अ),दिनांक 22 जून, 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एडी (हरियाणा राज्य में पानीपत के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-709 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर शामली, मुजफ्फरनगर, भोपा, बिजनौर को जोड़ता हुआ उत्तर प्रदेश राज्य में नगीना के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-734 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी के डिजाइन किमी 153+660 से डिजाइन किमी 175+280 (विद्यमान किमी 0+000 से किमी 24+780) तक मुजफ्फरनगर-मीरनपुर खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका (1) के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 17.500 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई (सारणी-2) तथा 8.69 कि.मी. (0.869 किलोमीटर की लंबाई वाली, सारणी-4) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% पर और 10 करोड़ रू या उससे अधिक की लागत वाले 3.251 कि.मी. लंबाई (सारणी-3) वाले बाईपास के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 90% पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.2
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.4
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संग्रहीत शुल्क, ऐसे पथकर प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाज़ाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात;

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश राज्य के जिला-बिजनौर में ग्राम-डेहरी के पास एनएच-709एडी के चैनेज 167+200 पर	**17.500** [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़कर]	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाज़ा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	**लागत (करोड़ रुपए में)**	
उत्तर प्रदेश राज्य के जिला-बिजनौर में ग्राम-डेहरी के पास एनएच-	बिजनौर बाईपास	डिज़ाइन चैनेज 153+660	डिज़ाइन चैनेज 156+990	3.251	21.38	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 90%

709एडी के चैनेज 167+200 पर						

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:

सारणी-4

शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लंबाई* (कि.मी. में)**	**समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)**	**दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है**
उत्तर प्रदेश राज्य के जिला-बिजनौर में ग्राम-डेहरी के पास एनएच-709एडी के चैनेज 167+200 पर	0.869^	8.69	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^संरचनाओं (>60 मीटर लंबाई वाली) का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**चेनेज**		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (कि.मी. में)**
	कि.मी. से	**कि.मी. तक**		
1	154+331	154+410	आरओबी	0.079
2	164+045	164+115	बड़ा पुल	0.070
3	173+750	174+200	फ्लाईओवर	0.450
	174+200	174+390		0.190
	174+390	174+470		0.080
			कुल	**0.869**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350.000/-रूपए (तीन सौ पचास रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे

पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता, अर्थात: -

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	**आधार दर में गुणन कारक**	**शुल्क**
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x (गुणन कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से80%	आठ	
>80% और उससे अधिक	दस	

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 300.59 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी-13017/1/2024-पीआईयू मेरठ/ई-249360]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2025

S.O. 3448(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3032(E) dated 22nd June, 2018 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the National Highway No. 709AD (The highway starting from its junction with NH-709 near Panipat in the state of Haryana connecting to Shamli, Muzaffarnagar, Bhopa, Bijnor and terminating at its junction with NH-734 near Nagina in the state of Uttar Pradesh) to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the sixty percent of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 17.500 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 8.69 Km (having total length of 0.869 Km, Table-4 and at ninety per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for bypasses having length of 3.251 km [Table-3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of two lane with paved shoulders of Muzaffarnagar – Miranpur Section from design km 153+660 to design km 175+280 (existing km 0+000 to km 24+780) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1	
Types of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:

Table -2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which Fee is payable**
At Chainage 167+200 of NH-709AD near village-Dehri in District-Bijnor of State (Uttar Pradesh)	17.500 [Excluding length of Bypass (costing >10Cr.) and length of structures (>60m)	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table -1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table -3					
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of Bypass for which additional fee is payable**	**Rate at which fee is payable**

				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Chainage 167+200 of NH-709AD near village-Dehri in District-Bijnor of State (Uttar Pradesh)	Bijnor Bypass	Design Ch. 153+660	Design Ch.156+990	3.251	21.38	90% for two lane with paved shoulders of the base rates mentioned in Table-I above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza, by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10 :-

Table -4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road Length (in km)	Rate at which fee is payable
At Chainage 167+200 of NH-709AD near village-Dehri in District-Bijnor of State (Uttar Pradesh)	0.869^	8.69	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-I above

^The Details of structures (>60m) are as under:

Sl No.	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km.)**
	From Km.	**To Km.**		
1	154+331	154+410	ROB	0.079
2	164+045	164+115	Major Bridge	0.070
3	173+750	174+200	Flyover	0.450
	174+200	174+390		0.190
	174+390	174+470		0.080
			Total	**0.869**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the Fee plaza is Rs.350.00 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely,

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle, namely: -

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	**Multiplying Factor to the base rate**	**Fees**
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and above	Ten	

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rs. 300.59 Crs. The Capital cost of the project is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. CODIV-13017/1/2024-PIU Meerut/E-249360]

VINAY KUMAR, Addl. Secry

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.26 11:48:44 +05'30'